फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – जहाजपुर(भीलवाडा)

गोकली पुत्री हजारी मीणा नि. कुचलवाडा खुर्द वगैरा

बनाम

शंकर सिंह पिता जेतसिंह मीणा नि. कुचलवाडा खुर्द वगैराह

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 47 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
05.04.23	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि **ग्राम हरिपुरा प. ह. टीकड तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 530, 531, 532, 533 कुल किता 4 रकबा 1.0476 हैक्टैयर** स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि **ग्राम हरिपुरा प. ह. टीकड तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 530, 531, 532, 533 कुल किता 4 रकबा 1.0476 हैक्टैयर** की उभय पक्षों की उपस्थिति मे पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000– रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक05.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर (भीलवाडा)	

Scanned with CamScanner

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

कमांक/रीडर/2023/517/2023 दिनांक :–04.04.2023

निमित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. स. 57 /23 अनवान अनवान गोकली पुत्री हजारी मीणा, छगू पुत्री हजारी मीणा, बदरी पुत्री हजारी मीणा, बरानी पुत्री हजारी मीणा, बहादुरसिंह पुत्र हजारी मीणा, लालाराम पुत्र हजारी मीणा, कमला देवी पत्नि भंवरलाल मीणा, किशनप्यारी पुत्री भंवरलाल मीणा, सोना पुत्री भंवरलाल मीणा, सुनिता पुत्री भंवरलाल मीणा, विष्णुकुमार पुत्र भंवरलाल मीणा, मुकेश कुमार पुत्र भंवरलाल मीणा निवासी कुचलवाडा खुर्द बनाम शंकर सिंह, प्रहलाद सिंह, सुमेरसिंह, शेरसिंह पुत्र जेतसिंह मीणा, राजकंवर पत्नी जेतसिंह मीणा, चडी देवी पत्नि रंगलाल मीणा, अशोक पुत्र कल्याण सिंह मीणा, रामकिशन पुत्र भूरा मीणा, मोहनी पत्नि प्रहलाद मीणा, नन्दलाल पुत्र मांगीलाल मीणा, कान्ता पत्नी मनोज कुमार मीणा, हीरा दत्तक पुत्र प्रताप मीणा, नन्दलाल पुत्र मोती मीणा निवासी कुचलवाडा खुर्द वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

———

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में **ग्राम हरिपुरा प. ह. टीकड तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 530, 531, 532, 533 कुल किता 4 रकबा 1.0476 हैक्टैयर** भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक खजुरी को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 2000 रू. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner